2/6/2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली दि०- 30/9/2022 से कायम मुकाम हेतु लम्बित हैं। दि.- 13/01/2023 को अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कायम मुकाम हेतु कार्यवाही शुरू नहीं की गई इससे प्रतीत होता हैं कि अपीलांट की कायम मुकाम की कार्यवाही में विशेष रुचि नहीं हैं। रेस्पो. सं० 1 के वारिसानों के संबंध में कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं ~~प्रस्तुत~~ करने के कोई होस

D-167/2013 - मदन लाल V/s मनोहर लाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	कारण भी अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पो० सं० 1 के वारिसानों के विरुद्ध यह अपील खारीज की जाती है। चूंकि रेस्पो० नं० 1 अपीलांट सं० 1 का भाई था। अतः वादग्रस्त आराजियात की अपील में महत्वपूर्ण रेस्पोंडेंट था। इसकी मृत्यु पर इनके वारिसानों को रेस्पोंडेण्ट संयोजित किया जाना अत्यावश्यक है। नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप इन्हें सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है परन्तु अपीलांट द्वारा नियत समयावधि में रेस्पोंडेंट नं०-1 के वारिसानों को रेस्पोंडेंट संयोजित करने की कार्यवाही प्रस्तुत नहीं करने से इनके विरुद्ध अपील खारीज हो चुकी है। पत्रावली में आगे की कार्यवाही न्यायसंगत नहीं होगी व रेस्पो० सं० 1 के वारिसानों के अभाव में व इन्हें बिना सुने अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता है। अपील इस निर्णय से सारहीन हो चुकी है। अतः इसी स्तर पर अपील निरस्त करने का निर्णय लिया गया। चूंकि पत्रावली में आवाज लगाने पर भी उभयपक्ष अधिवक्ता व पक्षकार अनुपस्थित रहे। अतः हिदायत पैरवी का भी अभाव पाया गया। अतः उक्त समस्त कारणों से पत्रावली निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	
	[signature] 2/6/2023	

उपखण्ड अधिकारी / राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible]